न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 5/2017

उनवान

रामधन पुत्र बालू जाति कुम्हार निवासी भटियानी, नसीराबाद
——वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. किशना पुत्र नारायण, जाति यादव,
2. जगदीश,
3. शान्तिलाल,
4. बिल्लू,
5. मिट्ठु,
6. टीकम,
7. लक्ष्मीनारायण,
8. पूसा पि0 रामदेव जाति नाई समस्त नि0 भटियाणी,
9. उप पंजीयक नसीराबाद
10. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 2 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
1 अनुपस्थित 9 व 10 जरियें राज. पैरोकार

11. सुगनी पत्नी रामकिशन,
12. उदा पुत्र रामकिशन,
13. रामकिशनी,
14. नोसी,
15. रतनी पि0 बालू जाति कुम्हार नि0 भटियानी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 5/8/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के चौसाला खसरा नम्बर 134 के वंर्किग खसरा नम्बर 213 रकबा 3—12—0 के हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.86 की आराजी [illegible] खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 किशना पुत्र नारायण के द्वारा दिनांक 23.08.1985 [illegible] माता भोली पत्नी बालू जाति कुम्हार से क्रय कर कब्जा व दखल [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 11 से 15 है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व [illegible] आराजी मुतनाजा क्रेता के नाम अंकन कर उसकी मृत्यु के बाद वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज [illegible] के बजाय बंदोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के पति/[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नाम अंकित कर दी। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1. अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि जवाब कुनिन्दा के पूर्वज रामदेव पुत्र गंगाराम ने कियाना पुत्र नारायण व बालू पुत्र छोगा से साबिक खसरा नम्बर 133 रकबा 5–10–0 दिनांक 12.10.83 को कय कर मोके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। चाक्साला जमाबंदी सवंत 2024–27 में विकेतागण के पूर्वज नारायण पुत्र लाखा व छोगा पुत्र सोला के विधिक वारिसान द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 135 कुल रकबा 5–10–0 दिनांक 12.10.83 को विकय कर नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 28.12.88 को अधिकार अभिलेख में अमल दरामद किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद जवाबकर्ता को हैरान व परेशान करने के लिय पेश किया गया है। अतः वादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की माता की विधिक कयशुदा है ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज ने तत्कालीन खातेदार से क्रय की थी, तथा वे खातेदार होने से वादी के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकोर की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है :–

1. <u>तनकी संख्या 1 :–</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार किशना पुत्र नारायण ने जरियें विकय पत्र चौसाला खसरा नम्बर 134 रकबा 4–3–0 की आराजी वादी की माता को विकय की थी। चौसाला खसरा नम्बर 134 के वंर्किग खसरा नम्बर 204 रकबा 0–5–0, 212 रकबा 0–6–0 व 213 रकबा 3–12–0 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 213 के हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.86 बने है। वंर्किग खसरा नमबर 213 रकबा 5–6–0 किशना पुत्र नारायण विकेता के नाम खातेदारी दर्ज था। वादी द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 213 रकबा 3–12–0 का वाद पेश किया है। वंर्किग खसरा नम्बर 204 व 212 का वाद वादी द्वारा पेश नही किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से वंर्किग खसरा नम्बर 213 हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 3–12–0 वादी की माता की विधिक [illegible] सिद्व होती है। विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार [illegible] के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। हाल खसरा नम्बर 224 कुल रकबा 0.86 है किन्तु वादी की माता द्वारा उक्त खसरा नम्बर के वंर्किग खसरा नम्बर 213 के 3–12–0 रकबा ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested

कय किया था। अतः वादी हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.86 में से 0.58 आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने प्रकरण में जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा उनके पूर्वज ने किशना पुत्र नारायण व बालू पुत्र छोगा से कय की है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने अपने जवाब दावे की चरण संख्या 1 में साबिक खसरा नम्बर 133 व चरण संख्या 2 में चौसाला खसरा नम्बर 135 कय करना बताया गया है। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 135 के वंर्किग खसरा नम्बर 213 का रकबा 1–11–0 ही है। तथा वंर्किग खसरा नमबर 213 के हाल खसरा नम्बर 224 का कुल रकबा 0.86 है जिसमें से वादी द्वारा 0.58 रकबा पर ही खातेदारी का वाद पेश किया है। शेष आराजी पर वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा उनको हैरान परेशान करने के लिये वाद पेश किया है किन्तु हाल खसरा नम्बर 224 में से 0.58 की आराजी वादी की माता की कयशुदा सिद्व होती है। शेष आराजी पर वादी का कोई हित व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार उनके द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 135 रकबा 5–10–0 कय किया गया है। तथा चौसाला खसरा नम्बर 135 का वंर्किग खसरा नम्बर 213 का रकबा 1–11–0 ही है। हाल खसरा नम्बर 224 का कुल रकबा 0.86 में से 0.28 रकबा प्रतिवादीगण की खातेदारी का है। उक्त रकबे पर वादी का कोई हक व अधिकार नही है। अतः वादी के विरूद्व उक्त रकबे पर प्रतिवादीगण स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी बहक प्रतिवादी विय, वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.58 की आराजी पर वादी का वाद हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.28 पर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 224 रकबा 0.58 का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 11 से 15 को घोषित किया जाता है। वादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 224 के शेष रकबे 0.28 की आराजी पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested